57

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग -1413- I -16

श्रीमति सुषमा पत्नि श्री महेन्द्रकुमार जैन
निवासी खुरई तह0 खुरई
जिला-सागर(म0प्र0) ....आवेदिका

महेन्द्रकुमार अहिरवार द्वारा आज दि. 21/05/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र.

//बनाम//

1.श्रीमति गनेशीबाई बेवा चैतू अहिरवार
2.श्रीमति चंदाबाई पति पप्पू अहिरवार
3.श्रीमति विमलाबाई पति प्रानसिंह पुत्री चैतू अहिरवार
4.लक्ष्मन पिता चैतू अहिरवार
5.टीकाराम पिता चैतू अहिरवार
सभी निवासी ग्राम सतनाई तह.खुरई
जिला-सागर(म0प्र0) ....अनावेदकगण

महेन्द्रकुमार अहिरवार (रा.) सागर

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदिका न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर के प्र0क्र06बी/121वर्ष2015-16 में पारित आदेश दिनाँक 22.4.2016 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करती है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदिका ने अनावेदकगणों से उनके भूमि स्वामी स्वामी हक की भूमि ख0नं099/1 रकवा 0.38हे0स्थित ग्राम आलखेडी की भूमि विधिवत् रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के माध यम से दिनाँक 15.07.2013 को क्रय की थी एवं विधिवत् बैनामा के आध ार पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नामांतरण कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया था उक्त दिनाँक से आवेदिका विधिवत् उक्त जमीन पर काबिज चली आ रही थी किंतु अनावेदकगणों ने एक शिकायत आवेदन जन सुनवाई में दिनाँक 30.12.2014 को कलेक्टर महोदय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदिका एवं अन्य दो रामकिशन वल्द फूलसींग ठाकुर तथा नीरज चौधरी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग.1413/1/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-5-16	1— आवेदिका के अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए। 2— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई के प्र. क्र. 6/बी—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 22/04/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदिका ने आलखेड़ी की भूमि खसरा नंबर 99/1 रकवा 0.38 हे0 भूमि विधिवत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 15—07—2013 के जरिये अनावेदकगणों से क्रय की थी एवं वैनामा अनुसार संशोधन पंजी क्र.1 दिनांक 19—12—2014 को नामांतरण आवेदिका के पक्ष में किया गया जिस पर आज वर्तमान तक मालिक काबिज चली आ रही है। उक्त भूमि अनावेदकगणों के पिता स्व. चेतू अहिरवार को शासन द्वारा प्र. क्र. 55/अ—19/1965—66 आदेश दिनांक 31—12—1966 को बंटन पर प्रदान की गई थी एवं अनावेदकगणों के पिता को दिनांक 09—10—1972 में भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए गए थे। तथा चेतु अहिरवार का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहा उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1986—87 में अनावेदकगणों के नाम वतौर वारसान हक में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में से मात्र 0.38 हे0 भूमि का अनावेदकगणों ने अपर कलेक्टर के समक्ष विक्रय की अनुमति का प्रकरण प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 06—02—2013 को अनुमति प्रदान की गई थी तदोपरांत ही 0.38 हे0 भूमि का वैनामा विधिवत अनावेदकगणों ने दिनांक 15—07—2013 को मुझे किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा संशोधन पंजी क्र.1 दिनांक 19—12—2014 को नामांतरण किया गया । उनका यह भी तर्क रहा है कि जो अनावेदकगणों द्वारा अनुमति अपर कलेक्टर के न्यायालय से ली है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि आदेश संदिग्ध है कि नहीं अनावेदकगणों द्वारा जब जन सुनवाई में आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया तब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जबकि अनावेदकगणों ने तहसीलदार के समक्ष आवेदिका के विरूद्ध शिकायत वापस लिये जाने हेतु आग्रह किया था एवं आवेदिका	

[क्र. प. उ.

निग. 1313-I-16 जिला-सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के पक्ष में किया गया वैनामा सही होना एवं उनसे कोई उजर नहीं होने का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया था। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करते हुए पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। उनका यह भी तर्क है कि उपरोक्त प्रकरण में संहिता की धारा 165(7ख) लागू नहीं होती एवं तहसीलदार को प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना था उन्हें अपने ही नामांतरण को पुनः खोलकर आदेश पारित नहीं करना था क्योंकि वैनामा वैद्य है मात्र इस आधार पर नामांतरण निरस्त नहीं किया जा सकता था कि विक्रय की अनुमति संदिग्ध प्रतीत होती है। क्योंकि विवादित भूमि का पट्टा वर्ष 1965–66 में प्रदान किया गया था जिसे विक्रय वर्ष 2013 में भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात किया गया है। भूमि स्वामी अधिकार वर्ष 1972 की प्रति अवलोनार्थ संलग्न है इस कारण अनुमति की आवश्यकता आज्ञापक नहीं है जैसा कि राजस्व निर्णय 2014 पेज 168 संदेश समैया विरूद्ध गोकलिया तथा एक अन्य, 2013 रा.नि. 08 (उच्च न्याय.) आधुनिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. विरूद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य के अलावा अन्य न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किए है। 4– आवेदिका के तर्कों पर विचार किया गया है एवं प्रकरण तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अनावेदकगणों के पिता स्व. चेतु अहिरवार को वर्ष 1965–66 में भूमि का वंटन किया गया था तथा उसे दिनांक 09–10–1972 को भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए गए थे। तदोपरांत वर्ष 2013 में वारसानों द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित किया है इस कारण से उन्हें भूमि विक्रय की अनुमति आज्ञापक नहीं थी इसके अतिरिक्त शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण में इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना था, अतएव प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–04–2016 निरस्त किए जाते है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदिका का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। यह आदेश केवल आवेदिका पर ही लागू होगा। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	